जल सेवाओं का निजीकरण : सच और भ्रम

जल निजीकरण-व्यवसायिकरण प्रतिरोध समिति

जल निजीकरण–व्यवसायिकरण प्रतिरोध समिति

संरक्षण	न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर,
	पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली, उच्च न्यायालय
अध्यक्ष	अनिल नौरिया
उपाध्यक्ष	नरेन्दर शर्मा
	सुहास बोरकर
	एस.ए.नकवी
	टी.आर. तोमर
महासचिव	दीपक धोलकिया
सचिव	हरीश त्यागी
	मैनेजर चौरसिया
कोषाध्यक्ष	गिरिवर सिंह
तकनीकी समिति	एस.ए.नकवी
	दीपिन्दर कपूर
	आर. राजेश
	वीरेन लोबो
	अफसर जाफरी

दिल्ली के निवासी कम से कम 2005 से जल के निजीकरण का विरोध करते रहे हैं। बहुत से बुद्धिजीवी, कर्मचारी, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता नबंबर 2011 में जल निजीकरण प्रतिरोध समिति के झंडे तले इकट्ठे हुए ताकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 2010 से थोपे गए शुल्कों को तुरंत वापस लिए जाने के लिए एक मुहिम खड़ी की जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को अच्छी किस्म का पर्याप्त पानी और स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी खुद उठाए।

Cover page image :
http://butchpowwow.com/wp-content/uploads/2011/07/water-shortage-in-africa.jpg

परिचय

राष्ट्रीय जल नीति 2002 के बनने के बाद से ही भारत में जल के नीजिकरण और उसके व्यवसायिकरण की कोशिशें होती रही हैं। यह राज्य की संवैधानिक व आर्थिक दोनों तरह की जिम्मेदारी से मुँह मोड़ने जैसा है। जल सबके लिए प्रकृति का उपहार है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जल व स्वच्छता जैसी सेवाओं का अधिकार न सिर्फ ज़िदा रहने के लिए जरूरी है, बल्कि हमारा समाज सदियों से जरूरतमंदों और प्यासे लोगों को पानी मुहैया कराने को अपना कर्तव्य मानता आया है जिसके लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और धर्मशालाओं में प्याऊ स्थापित किए जाते रहे हैं। इसके अलावा अपने घर के सामने और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग पानी पिलाते हैं।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को दिए दिशानिर्देशों के जरिए पानी और स्वच्छता सेवाओं के दामों को जनवरी 2010 से चार गुना कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बढ़ाए शुल्कों में हर साल 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि का प्रावध ान शामिल है। इस तरह का प्रावधान अन्य किसी निजीकरण की प्रक्रिया में नहीं दिखता चाहे वह बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर परिवहन।

'अनधिकृत' कालोनियों और झुग्गियों के बहुत से निवासी पहले ही निजी सप्लायर्स से घटिया पानी के लिए बढ़ी हुई किमतों से भी ज्यादा दाम चुका रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड इन इलाकों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुँचा पाता। पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को स्थानीय माफिया और राजनीतिज्ञों का संरक्षण मिला हुआ है। झुग्गियों तक जलापूर्ति के निजीकरण के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड के और भी बहुत से काम ठेके पर निजी एजेंसियों को सौंपे जा चुके हैं जिनमें पाइपलाइनों का रख-रखाव और निर्माण कार्य भी शामिल हैं। झुग्गी बस्तियों तक जल की आपूर्ति के काम में दिल्ली जल बोर्ड गैर सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित कर रहा है। इस तरह कुशलता बढ़ाने और लोगों की भागीदारी के नाम पर धीरे-धीरे दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण हो रहा है।

दिल्ली सरकार पर्याप्त और अच्छी किस्म के पेयजल की कमी और स्वच्छता सेवाओं को लेकर आम जनता के असंतोष का पूरी तरह फायदा उठा रही है ताकि दिल्ली जल बोर्ड का पूरी तरह निजीकरण करने का रास्ता तैयार किया जा सके। सरकार हमें यह नहीं बताती कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों और योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई कालोनियों तक पानी पहुँचाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को मजबूत करने में निवेश किया जाए तो उससे क्यों यह लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते।

इसके बजाय, निजीकरण को सभी समस्याओं के इकलौते समाधान के तौर पर पेश किया जा सकता है।

दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी के दामों में अत्यधिक वृद्धि निजीकरण और निजी कारोबारियों को आकर्षित करने की दिशा में पहला कदम है। अब सरकार पानी को पूरी तरह निजी कारोबारियों के हाथों में देने का प्रस्ताव रख रही है। उसकी दलील है कि निजी क्षेत्र इन सुविधाओं के लिए माफिया/निजी ठेकेदार के मुकाबले कम कीमत वसूलेगा। यह दलील कि लोग पहले ही ऊंची कीमतें दे रहे हैं, इस बात का संकेत नहीं है कि वे पानी के बहुत ज्यादा दाम देने को सहर्ष तैयार हैं–उन्हें तो ऐसा मजबूरी में करना पड़ रहा है।

यह साफ है कि दिल्ली बिजली आपूर्ति उपक्रम (डेसू) के निजीकरण से कोई सबक नहीं सीखे गए। न सिर्फ ग्राहकों का हर महीने पानी का बिल बढ़ेगा, बल्कि सरकार को निजी संचालकों को सब्सिडी देनी होगी (जैसा कि एनडीपीएल–नया नाम टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड –और बीएसईएस के मामले में हुआ)। जो लोग जीवन देने वाले जल का बिल नहीं चुका पाएंगे, उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए पानी मुनाफे का कारोबार बन जाएगा लेकिन बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।

हमारी मांग है कि दिल्ली जल बोर्ड की झुग्गी बस्तियों और 'अनधिकृत' कालोनियों में जल और स्वच्छता सेवाओ ंकी जिम्मेदारी स्वीकार करे। हम मानते हैं कि दिल्ली सरकार को दिल्ली जल बोर्ड के सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि उसे दिल्ली के लोगों को अच्छी किस्म का पानी और स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने के लिए जवाबदेह और सक्षम बनाया जा सके। दिल्ली जल बोर्ड को अधिक धन और अधिक कर्मचारी देकर मजबूत किया जाए और उसे व्यापक सार्वजनिक जांच और जवाबदेही के दायरे में लाया जाए। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से संचालन, रख–रखाव और नए निर्माण कार्यों के लिए दिए जाने वाले निजी ठेके तुरंत बंद किए जाएं क्योंकि इस तरह के ठेकों से ज़्यादातर मामलों में दिल्ली के नागरिकों और झुग्गी बस्तियों व कालोनियों में रहने वाले सबसे ग़रीबों का कम और निजी ठेकेदारों का ज़्यादा कल्याण होगा।

इस समस्या और इसके संभावित समाधानों की बेहतर समझ तैयार करने के वास्ते जल निजीकरण–व्यवसायीकरण प्रतिरोध समिति ने दिल्ली में जारी अपनी मुहिम के लिए यह पुस्तिका तैयार की है।

विषय सूची

1. **दिल्ली में जल और स्वच्छता की वर्तमान स्थिति** 6

दिल्ली में निवास की स्थिति–

पेयजल सुलभ नहीं

नियमित रूप से पानी के दाम बढ़ना

दिल्ली जल बोर्ड का मासिक जल और स्वच्छता सेवा शुल्क

क्या निजी क्षेत्र गरीबों को ज्यादा पानी दे सकता है?

हमें दिल्ली में पानी और स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण का विरोध क्यों करना चाहिए?

2 **जलापूर्ति का निजीकरण: सच और भ्रम** 15

पानी के निजीकरण के लिए दिए जाने वाले कारण

मुख्य प्रश्न

क्या दिल्ली में वाकई पानी की किललत है?

- दूर के स्रोतों पर निर्भरता से पानी की हानि होती है।
- पानी की हानि से निपटने के लिए क्यों कुछ नहीं किया गया?

पानी की उपयोगिता कुशलता सुधारने का गलत तर्क

- कमाई न देने वाला पानी (एनआरडब्ल्यू) कौन-सा है
- पानी की चोरी
- पानी की इस किल्लत के बीच 24 घंटे आपूर्ति का वायदा कितना उचित है?

निजीकरण की प्रस्तावित योजना से क्या हासिल होगा?

- दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण की पिछली कोशिशें
- दिल्ली में जल के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष

3. **पानी पर अधिकार और जल एवं स्वच्छता सेवाओं का निजीकरण** 29

दिल्ली में पानी और स्वच्छता सेवा सुधारने के लिए क्या करना होगा?

दिल्ली सरकार से हमारी माँगें

दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विकल्प

1. दिल्ली में जल और स्वच्छता की वर्तमान स्थिति

दिल्ली में निवास की स्थिति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नई दिल्ली राष्ट्रीय नगर निगम और दिल्ली कैंट प्राधिकरण प्रशासित इलाके शामिल हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या 1.37 करोड़ थी, जबकि नए मास्टर प्लान में इस जनसंख्या को 1.65 करोड़ आंका गया है। राष्ट्रीय राजधानी में निवास की परिस्थितियां निराशाजनक तस्वीर पेश करती हैं। 2002 के राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 39 लाख परिवारों में से 58 प्रतिशत परिवार 50 वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्रफल में गुजारा करते है जबकि 32 प्रतिशत परिवारों में लोग 20 वर्ग मीटर से भी कम में गुजारा कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। डीयूईआईआईपी (दिल्ली शहरी पर्यावरण और बुनियादी ढांचा सुधार परियोजना दिल्ली–2021) की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की सिर्फ 24 प्रतिशत जनसंख्या योजनाबद्ध कालोनियों में रह रही हैं जबकि 34 प्रतिशत लोग झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कालोनियों और गंदी बस्तियों में रहे हैं, पांच प्रतिशत लोग 'अनधिकृत' कालोनियों में रहते है (जिन्हें एमसीडी ने मान्यता प्राप्त नहीं दी है और इसीलिए उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं), 25 प्रतिशत लोग नियमित की गईं और पुनर्वास कालोनियों में रह रहे हैं और 11 प्रतिशत लोग देहाती और शहरी गांवों में रह रहे हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण के 65वें दौर (2010 रिपोर्ट) के आँकडे दिखाते हैं कि दिल्ली में 70 प्रतिशत परिवारों में महीने का प्रति व्यक्ति खर्च 1500 रुपए से भी कम है।

इससे साफ ज़ाहिर है कि पानी के बिल में हर साल स्वत: 10 प्रतिशत बढ़ोतरी ग़रीब विरोधी है और आबादी का बड़ा हिस्सा उससे सीधा प्रभावित होता है।

पेयजल सुलभ नहीं है

दिल्ली सरकार का कर्तव्य है कि वह 1998 में स्थापित दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से दिल्ली की पूरी आबादी को स्वच्छ जल, मल निकासी और स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराए। 10,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के जरिए दिल्ली जल बोर्ड हर रोज 85 करोड़ गैलन पीने के पानी की आपूर्ति करता है, जो उसकी

मौजूदा स्थापित क्षमता से अधिक है। इसके जल शोधन संयंत्र हर दिन सिर्फ 51. 4 करोड़ गैलन पानी ही मुहैया करा पाते हैं, बाक़ी बचा अशोधित पानी यमुना का प्रदूषण बढ़ाता है।

सोनिया विहार, संगम विहार और भलस्वा जैसी अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली जल बोर्ड पाइप से पानी या जल-मल निकासी की सेवाएं मुहैया नहीं कराता। सोनिया विहार के निवासी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद पानी के कनेक्शन हासिन नहीं कर पाए हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को शहर से हटा कर सावदा घेवरा जैसी कुछ पुर्नवास कालोनियों में बसाया गया है। इन इलाकों में पाइप के जरिए पानी की देने का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से वहां पानी पहुँचता है, वहां मल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों से आशा की जाती है कि वे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करें। दिल्ली की जेजे कालोनियों, 'अनधिकृत' और पुनर्वास कालोनियों की जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पीने का पानी पहुँचाने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता लगभग पूरी तरह पानी के टैंकरो, व्यक्तियों या ठेकेदारों या माफिया के खोदे गए बोरवैल के जरिए पूरी हो रही है।

पानी और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं को अनधिकृत कालोनियों और जेजे गंदी बस्तियों के आवास की मालिकाना स्थिति से अलग करने की दलीलों के बावजूद इन कालोनियों के निवासियों को पानी और स्वच्छता की बुनियादी सेवाएं पाने के काबिल नहीं समझा जाता। झुग्गियों और तथाकथित अनधिकृत कालोनियों को गैरकानूनी माने जाने के कारण झुग्गी माफिया पानी कारोबार चलाते हैं। कभी-कभी स्थानीय विधायक और निगम पार्षद मतदाताओं को रिझाने के लिए कुछ सार्वजनिक टोंटियां और हैंडपंप लगवा देते हैं।

सोनिया विहार में दो लाख निवासियों को हैंडपंप का उपयोग करना पड़ता है जबकि पानी की दूसरी जरूरतों के लिए वे अपने घर के सामने खोदे गए बोरवैल पर निर्भर रहते है। सार्वजनिक नल लगवाना पूरी तरह स्थानीय राजनेता की मर्ज़ी पर निर्भर है। इसका नतीजा यह होता है कि किसी जगह तो कई नल हैं और कहीं एक भी नहीं। इस मनमाने वितरण के कारण पानी की मात्रा और किस्म के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। अक़सर जब जलापूर्ति के घंटों में अचानक कटौती कर दी जाती है, तो आम लोगो को भारी परेशानी होती है। अक़सर निवासी पानी की किस्म के बारे में भी शिकायत करते है।

दिल्ली में कूड़े के सबसे बड़े खुले ढलाव के नजदीक भलस्वा जेजे कालोनी में हालाँकि भूमिगत जल प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन वहां के निवासियों के पास पानी का और कोई विकल्प नहीं है। सावदा घेवरा पुनर्वास कालोनी में भूमिगत जल में नुकसानदेह ठोस तत्वों (TDS) की मिलावट होती है जिससे पानी कठोर हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। लेकिन दक्षिणी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में तो भूमिगत जल बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहां पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली की तरह यमुना नदी या किसी और नहर से पानी नहीं मिलता। सोनिया विहार और अन्य अनधिकृत कालोनियों में लोगों ने पानी की लाइनें बिछवाने के लिए बड़ी रकम चुकाई और हर महीने उन्हें पानी के लिए 500-1000 रुपए का बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन उन्हें जो पानी मिलता है वो इतना घटिया होता है कि उसे उबालना पड़ता है।

यह सच है कि ग़रीब लोगों को पानी जैसी बुनियादी मानवीय जरूरत के लिए मजबूरन ऊंची क़ीमत देनी पड़ती है और सरकार इसका यह मतलब निकालती है कि वे लोग ऊँचे दाम 'चुकाने के इच्छुक और सक्षम है।'' फिर इसी आधार पर बस्तियों और सम्पन्न इलाकों की तुलना की जाती है और यह दिखाया जाता है कि ग़रीब लोग पानी के लिए ज़्यादा दाम देने में सक्षम हैं, इसलिए पानी के दाम बढ़ाना और पानी स्वच्छता सेवाओं के संचालन के लिए निजी व्यवसायियों को मुनाफे की खातिर आमंत्रित करना उचित है।

पुनर्वास कालोनियों में व्यक्तिगत शौचालय मुहैया नहीं कराए गए हैं। वहां नालियों और जल-मल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह की स्थिति दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में भी है। जिनके पास पैसा है वे अपने सेप्टिक टैंक्स बना लेते हैं या उन सार्वजनिक शौचालय की इस्तेमाल करते हैं जहां पैसे देने पड़ते हैं। ये शौचालय भी बहुत गंदे होते हैं। योजनाबद्ध कालोनियों में पानी की स्थिति बेहतर है, लेकिन पानी की मात्रा और किस्म बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपर्याप्त आपूर्ति की आड़ लेकर द्वारका को पानी मुहैया कराने से इनकार कर दिया था।

पानी के दामों का नियमित रूप से बढ़ना

पानी के दाम तय करना अब एक प्रशासनिक निर्णय हो गया है जिसमें दिल्ली की सरकार और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ही पानी के दाम तय करता है। उसने पानी की कीमतों में हर साल 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि का नियम पहले ही लागू कर दिया है। हमारा सवाल है: क्या वेतन में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है और क्या भारत में कहीं भी ग़रीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा भत्तों में हर साल इतनी वृद्धि हो रही है?

पानी और स्वच्छ सेवाओं का मासिक बिल							
जल के शुल्क का प्रकार	**पानी की दरें**	**2005**	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	**2012**
आयतन के अनुसार जल दर श्रेणी प्रति किलो-लीटर/माह	0 किलोलीटर /माह*	0	2	2.20	0	22	24
	10-20 किलो लीटर/माह	2	3	3.30	20	33	36
	20-30 किलो लीटर/माह	7	15	16.50	35	83	93
	30 से अधिक किलोलीटर /माह	10	25	27.50			
मासिक सेवा शुल्क	0-10 किलो लीटर/माह	जल उपयोग से संबंधित नहीं झुग्गी झोपड़ी और 200 वर्ग मीटर से छोटे मकानों की कालोनियां रुपये 40/माह 200 वर्गमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले रिहायशी परिसर रु. 120 /माह	50	55			
	10-20 किलो लीटर/माह		100	110	40	110	121
	20-30 किलो लीटर/माह		150	165			
	30 से अधिक किलोलीटर /माह						
सीवर शुल्क	आयतन के अनुसार जल उपयोग से संबंधित	शून्य	50%	60%		80	92
दिल्ली जल बोर्ड का मासिक बिल					रुपये 95/प्रति माह	रुपये 328/ प्रति माह	रुपये 366/ प्रति माह

वर्ष 2005 में 0–6 किलोमीटर/माह उपभोग के लिए श्रेणी दर, शून्य थी। अगली श्रेणी 7–20 किलोमीटर–माह की थी।

पानी के बिलों से पता चलता है कि 2011 में पानी की दरों में तीन गुना से ज्यादा इजाफ़ा हुआ है। यानी किसी भी इलाक़े में 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले घर में रह रहे पांच सदस्यों के परिवार में अगर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 लीटर या औसतन महीने में 25 किलोलीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है तो उस परिवार का पानी का मासिक बिल 95 रुपए से बढ़कर 328 रुपए हो गया है। इसके अलावा जनवरी 2012 से शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि भी लागू की जा सकती है। इसका मतलब है कि 7-8 साल में पानी के बिल दो गुने हो जाएंगे। पानी को मुनाफे का कारोबार बनाने के लिए परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं।

यह मानते हुए कि दिल्ली में शहरी ग़रीबों की बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से भी कम है। इनमें से इकलौती महिला वाले परिवारों में तो आमदनी 2,000 रुपए से कम है। बेरोजगारी की दर भी ऊंची है, रहन-सहन भी बहुत महँगा है जिसकी वजह मकानों का महँगा किराया और स्थानीय परिवहन, खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार बढ़ती लागत है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पानी के दाम अगर बढ़ाए जाते हैं तो शहरी ग़रीबों को पानी बहुत ही कम मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं।

इस लिए दिल्ली के लोगों के हित में सबसे पहले 2010 में बढ़ी पानी की क़ीमतों और उनमें हर साल 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि को वापस लिए जाने की माँग करनी ही होगी। दूसरी मांग पानी का निजीकरण खत्म किए जाने की है। हमें सरकार को जल संरक्षण और वितरण के लिए जवाबदेह बनाना होगा ताकि देश के जल संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार हो सके।

क्या निजी क्षेत्र ग़रीबों को ज़्यादा पानी दे सकता है?

पानी का उत्पादन निजी कंपनियों की फैक्ट्रियों में नहीं हो सकता। शासन ने सभी शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने के लिए नहरों का विशाल नेटवर्क तैयार करने और भूमि से जल निकालने में सार्वजनिक धन का निवेश किया है। पानी के निजीकरण का मतलब है–पानी के वितरण, बिलिंग व्यवस्था, संचालन और मरम्मत के काम का भी निजीकरण। निजी कंपनियों की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि वे नगर नियोजकों पर जल संरक्षण या फिर नदी किनारे और खुले सार्वजनिक स्थानों पर भूमिगत जल को रिचार्ज करने के उपाय करने के लिए दबाव डालें। ये दिल्ली की जलापूर्ति के प्रबंधन का सबसे आवश्यक पहलू है, इस लिए इसका निजीकरण नहीं हो सकता। इस दिशा में अगर कोशिश की भी गई तो निजी क्षेत्र से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह जल का संरक्षण करने, उसकी स्थिति सुधारने और भूमिगत जल रिचार्ज करने के उपाय करेगा।

निजी क्षेत्र को निश्चित तौर पर जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के विस्तार, अधिक पाइपलाइन बिछाने, लंबी पाइपलाइनों और सीवरेज प्लांट लगाने से फायदा होगा। उन्हें जल की बर्बादी में कमी दिखाने के लिए प्रोत्साहन और प्रलोभन दिए जाएंगे।

कमाई न देने वाला जल या एनआरडब्ल्यू

'अनधिकृत' कालोनियों और झुग्गियों के निवासी दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से जलापूर्ति के हक़दार नहीं हैं। एक बार दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण हो गया तो निजी कंपनियां किसी भी ग्राहक को पानी देने में व्यवसायिक मुनाफा ही देखेंगी और ऊंचे दाम वसूलेंगी। कंपनियों सरकार से मांग करेंगी कि सरकार उन्हें झग्गियों, अनधिकृत बस्तियों को जलापूर्ति और सीवरेज सप्लाई के मुख्य सिस्टम से जोड़ने लिए आर्थिक मदद दे। वे कनेक्शन करने और नए वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी सरकार से भुगतान की मांग कर सकती हैं, हो सकता है कि झुग्गी और गरीब बस्तियों के निवासियों की पानी का बिल पूरा और समय से चुकाने की सामर्थ्य की कमी को देखते हुए प्राइवेट कंपनियां पानी की बिलिंग का एटीएम सरीखा तरीका अपना लें, जैसा कि कई देशों में हो चुका है या हो सकता है कि एक उपभोक्ता से थोक मात्रा में पानी के पैसे ले लिए जाए।

दिल्ली में बिजली के निजीकरण से दिलचस्प परिणाम सामने आए हैं। निजी बिजली आपूर्ति कंपनियों को इस बात का भरोसा है कि उन्हें अपने पूंजी निवेश और संचालन लागत पर 16 प्रतिशत की दर से पक्का लाभ मिलेगा और संचालन गतिविधियों से मिलने वाला मुनाफा अलग से। संचालन गतिविधियों से होने वाला मुनाफा राष्ट्रीय ग्रिड से कम दामों पर बिजली खरीदने और उसे ग्राहकों को ऊंचे दाम पर बेचने से बढ़ सकता है। ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए निजी बिजली आपूर्ति कंपनियों (रिलायंस और टाटा) ने गर्मियों के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से कम कीमत पर बिजली खरीद समझौता किया। इस बिजली का अग्रिम भुगतान किया जाता है भले ही कंपनियां इसे कभी भी लें। अगर गर्मी का मौसम लंगा खिंचता है और ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बिजली की मांग बढ़ने पर बिजली कंपनियों को ऊंचे दामों पर राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ती है। लेकिन निजी बिजली आपूर्ति कंपनियों की प्राथमिकता कम बिजली खरीदना रहता है और वे उपलब्ध बिजली उन ग्राहकों को दे देते हैं जो प्रति यूनिट ज्यादा दाम चुकाने वाली श्रेणी में आते हैं। इसकी वजह से ग़रीब बस्तियों में बिजली की कृत्रिम किल्लत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से बिजली कंपनियों को मुनाफा कम होता है।

इतना ही नहीं, दिल्ली में निजी अपूर्ति कंपनियों ने संचालन गतिविधियों और रख-रखाव पर आने वाले खर्च भी ज्यादा दिखाना शुरु कर दिया और वे बिजली के दामों में सालाना वृद्धि की मांग कर रही हैं। शुरु में दिल्ली सरकार ने आपत्ति की, लेकिन बाद में बिजली आपूर्ति कंपनियों को सब्सिडी देने और बिजली के दाम बढ़ाने, दोनों बातों के लिए सहमत हो गई। तो फिर बिजली आपूर्ति के निजीकरण से हासिल क्या हुआ? लोग निजी कंपनी को ज़्यादा पैसा चुका रहे हैं, गरीब कालोनियों में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है और निजी कंपनियों को

सरकारी सब्सिडी के अलावा अपने निवेश पर 16 फीसदी का मुनाफा और संचालन व रख-रखाव से जुड़े फ़ायदे भी मिल रहे हैं। इसी तरह की स्थिति पानी और स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण से भी पैदा हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड निजी कंपनियों को मुफ्त पानी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो इस पूरे कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जल वितरण से जुड़ी निजी कंपनियों को अपने निवेश पर फ़ायदे का पूरा भरोसा होगा और वे पानी के ज्यादा दाम चुकाने को तैयार रहने वाले ग्राहकों को पानी की आपूर्ति करके भी और पैसा बना सकती हैं। भूमिगत जल में किसी तरह की मिलावट होने, जल संरक्षण न होने या भूमिगत जल को रिचार्ज न करने के लिए निजी जल वितरण कंपनियां को न तो जबावदेह ठहराया जा सकता है और न ही इसके लिए उन पर कोई जुर्माना लग सकता है।

निजीकरण से शहरी ग़रीबों के लिए जलापूर्ति में किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। उल्टे इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अभी तक तो दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर जैसे-तैसे ग़रीबों की प्यास बुझा रहा है।

हमें दिल्ली में जल और स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण का विरोध क्यों करना चाहिए?

पाइपलाइनें और सीवरेज सिस्टम भूमिगत हैं और हम उन्हें उस तरह देख नहीं पाते जैसे सड़क में गड्ढे दिख जाते हैं या खस्ताहाल बसें, अस्पताल, स्कूल, स्टेडियम और ठीक से काम न करने वाली स्ट्रीटलाइटें दिखती हैं। आप नहीं देख सकते कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है। पानी की पाइपलाइन बिछाना, सीवरेज सिस्टम या पानी की टंकी बनाना, निजी कंपनियों के लिए मुनाफे वाला कारोबार है। लोग कभी इस बात को नहीं परख सकते कि उसमें कितना निवेश किया गया है, और उससे कैसी चीज तैयार हुई है या फिर क्या वाकई उसकी जरूरत थी या फिर फ़िज़ूल के ठेकों के ज़रिए सिर्फ पैसा बनाया गया है।

इसी तरह लोग कभी यह देख नहीं पाएंगे कि प्रस्तावित जलापूर्ति निजीकरण योजना के तहत पानी की कितनी बचत हो रही है। जब सरकार निजी जल कंपनियों को सब्सिडी देने लगेगी, जैसे बीएसईएस और टाटा पावर को दी गई, तो हमारा पैसा ही सब्सिडी में खर्च होगा।

जल और स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण की दलीलों के पीछे दिल्ली में चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति के नाम पर एक बड़े घोटाले की आशंका छिपी है। पानी पहुँचाने के लिए इंजीनियरिंग ठेके दिए जाएंगे जिनमें ग़रीबों के लिए पानी की आपूर्ति सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहा यह जाएगा कि दूसरे इलाक़ों से पानी ग़रीबों तक पहुँचाया जाएगा या इसके लिए बुनियादी ढाँचा खड़ा किया जाएगा जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा।

दिल्ली में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम की समस्या की जड़ अमीरों और गरीबों के बीच पानी का असमान वितरण है। इसे अधिक इंजीनियरिंग ठेकों और दिल्ली के लिए अधिक जलापूर्ति की व्यवस्था से नहीं सुलझाया जा सकता।

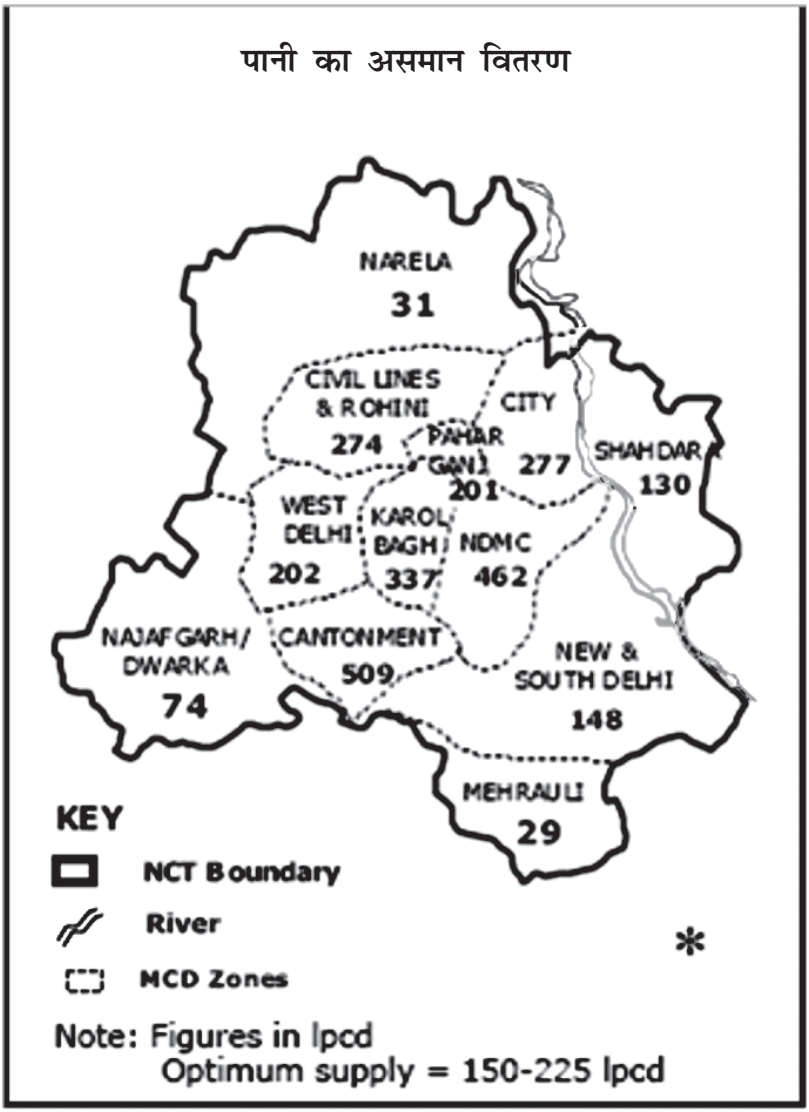

Source: Delhi 1999 – A Fact Sheet NCRPB

दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। रख-रखाव और पाइपलाइनों के जुड़े कामों के काफी ठेके दे भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का इरादा अब अलग-अलग ठेके देने की बजाय समूचे जल वितरण, मीटर से जुड़े कामों और जल व स्वच्छता से जुड़े बुनियादी ढांचे के रख-रखाव का निजीकरण करने का है। चंद बड़ी कंपनियों को अब संचालन और रख-रखाव, मीटर से जुड़े कामों और निर्माण कार्यों के लिए विशेष ठेके दिए जाएंगें-मतलब उनका एकाधिकार हो जाएगा।

2. जलापूर्ति का निजीकरण : सच और भ्रम

जल के निजीकरण के लिए दिए जाने वाले कारण

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जल और स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण के लिए निम्नलिखित कारण गिनाए है:

- शहर में पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर
- बिना मीटर वाले कनेक्शनों के कारण दिल्ली जल बोर्ड का भारी नुकसान
- अपर्याप्त वितरण व्यवस्था
- ढुलाई में पानी की जबर्दस्त बर्बादी
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा
- कमाई न देने वाले पानी की मात्रा में आपूर्ति

पानी के निजीकरण के मुख्य कारण ये बताए जाते है : मीटर रीडिंग के स्तर पर भ्रष्टाचार और झुग्गियों और अनधिकृत कालोनी के निवासियों द्वारा पानी की ऊंची क़ीमतों का भुगतान। दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए अधिक कर्मचरियों की नियुक्ति और निवेश करने की बजाय इस जनोपयोगी संस्थान को एक एजेंसी बना दिया गया है जो मरम्मत और रख-रखाव के अपने ज्यादातर काम ठेके पर दे रही है।

जल और स्वच्छता को लाभ कमाने की वस्तु मान लेने से दिल्ली जल बोर्ड के सामाजिक उद्देश्य को ठेस लगती है। सभी को जल की आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध जनोपयोगी संस्था, दिल्ली जल बोर्ड को सिर्फ मुनाफा कमाने वाली व्यवसायिक इकाई नहीं मानना चाहिए। हाल के वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड के बजट में अपेक्षाकृत कम वार्षिक घाटा देखा गया है, और इसकी भरपाई के वास्ते ऊंची ब्याज दरों पर लिए गए ऋण के कारण उसे कहीं ज्यादा रकम चुकानी पड़ी, जिससे दिल्ली जल बोर्ड और संकट में घिर गया। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ग़रीब नहीं है और सरप्लस राजस्व जुटाता है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड, स्कूलों और अस्पतालों को पर्याप्त समर्थन देना दिल्ली सरकार और एमसीडी की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। छोटी-सी सालाना आर्थिक मदद से दिल्ली जल बोर्ड के वार्षिक घाटे की भरपाई हो जाती, कर्ज़ भी न चढ़ता और कर्ज़ पर ब्याज अदायगी के कारण दिल्ली जल बोर्ड का वार्षिक घाटा भी इतना न बढ़ता।

यहाँ यह बात भी ध्यान देने वाली है कि 1991 के बाद से हुई निजीकरण की ज़्यादातर पहलों में बड़ें घोटाले हुए हैं इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र में छोटे-मोटे भ्रष्टाचार की आड़ में निजीकरण के समर्थन में दलील दी जाती है। असल में, निजी हाथों में सौंपी गई सार्वजनिक सेवाओं की नाकामी के बाद उन्हें वापस सार्वजनिक नियंत्रण में लिया जाना चाहिए था जैसा कि लेटिन अमेरिकी देश बोलिविया, फ्रांस और अमेरिका में हुआ। वहां जल सेवाओं के निजीकरण के बाद उन्हें वापस नगर निगमों को सौंप दिया गया।

इन तर्कों से उठने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

1. क्या दिल्ली में पानी की वाकई किल्लत है या किल्लत दिल्ली में मौजूद पानी के असमान वितरण की देन है?

2. जल सेवाओं के निजीकरण से पानी की उपयोगिता कुशलता कैसे सुधरेगी?

3. निजीकरण की प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं? प्रस्तावित माँग और आपूर्ति के बीच के अंतर कैसे पाटेंगी?

दिल्ली सरकार निजीकरण के लिए तर्क देती है कि पीने का पर्याप्त पानी नहीं है और बहुत-सा पानी रिसने से बर्बाद हो जाता है: निजीकरण से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जलापूर्ति और वितरण के प्रस्तावित निजीकरण से पानी की किल्लत और सब तक पेयजल पहुँचाने में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, जबकि यही समस्याएं संकट की जड़ हैं। माँग और आपूर्ति का अंतर दूर करने और दिल्ली जल बोर्ड की मौजूदा जनोपयोगी सेवा की कार्यकुशलता सुधारने और कमियाँ दूर करने की बजाय बुनियादी ढाँचे के विकास को ही इकलौती समस्या के तौर पर पेश किया जा रहा है और निजीकरण को इसका समाधान बताया जा रहा है।

पहला मुद्दा है, बिना मीटर वाले कनेक्शन। बिना मीटर वाले कनेक्शन क्यों लगते हैं? दिल्ली जल बोर्ड इन कनेक्शनों पर मीटर क्यों नहीं लगा सकता? इसकी वजह है 'अनधिकृत' और पुनर्वास कालोनियों और झुग्गी बस्तियों के निवासियों तक पाइपलाइनों के जरिए पानी मुहैया कराने में दिल्ली जल बोर्ड को दिलचस्पी ही नहीं है, तो मीटर का रोना क्यों?

दूसरा और इससे संबंधित मुद्दा है जल वितरण की कुशलता सुधारना ताकि कमाई न देने वाले पानी (एनआरउब्ल्यू) की मात्रा कम की जा सके। लाने-ले जाने में करीब कितना पानी बर्बाद होता है? इन अनुमानों का क्या आधार है और ये कितने विश्वसनीय हैं? निजी कंपनियां पानी की बर्बादी कैसे कम करेंगी? दिल्ली जल बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कर सकता?

मौजूदा बुनियादी ढांचे में क्या खामियां हैं? बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए कितना धन चाहिए और कितना धन मुहैया कराया गया है? बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र का प्रस्तावित निवेश कितना होगा? बुनियादी ढाँचे की बेहतरी निजी निवेश पर ही निर्भर क्यों है?

पानी की आपूर्ति बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस दिशा में कौन-सी परियोजनाएं चल रही हैं और उन्हें कब तक पूरा होना है? इनमें निवेश कौन कर रहा है?

इन कारणों की पड़ताल और सवालों के जवाब ढूँढने की प्रक्रिया में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि दिल्ली में पानी से जुड़ी समस्याओं को निजीकरण से दूर नहीं किया जा सकता।

1. क्या दिल्ली में पानी की वाकई किल्लत है?

दिल्ली में पानी की किल्लत पानी के स्रोतों के अभाव का नतीजा नहीं है। पानी की बर्बादी और चोरी की वजह समझाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के बुनियादी ढाँचे के कुप्रबंधन की आड़ ली जा रही है। शहर में असमान वितरण की समस्या को हल किए बिना बाहर से ज्यादा पानी लाने का अर्थ यह नहीं है कि पानी के लिए तरसते लोगों को निजीकरण के जरिए ज्यादा पानी मिलने लगेगा।

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 50 गैलन पानी मुहैया कराता है। 2011 के प्रारंभ में दिल्ली जल बोर्ड प्रति दिन 83 करोड़ गैलन पानी दे रहा था। इस तरह प्रतिदिन की उपलब्धता भारत के दूसरे बहुत से शहरों और यूरोप के कई शहरों से भी कहीं ज्यादा है।

अनुमान है कि दिल्ली की 72 प्रतिशत जनता को ही पाइपलाइनों के जरिए पानी के कनेक्शन दिए गए है और इसमें से 55 प्रतिशत के कनेक्शन मीटर वाले हैं। हर रोज पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति औसतन दो से तीन घंटों के लिए होती है। इसमें भी हर इलाके की स्थिति में बहुत अंतर है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले इलाके हैं मध्य दिल्ली, कैंट बोर्ड क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली, खासकर दूतावासों वाला चाणक्यपुरी का इलाक़ा। दक्षिण पश्चिम और पूर्वी दिल्ली के सघन आबादी वाले इलाक़े हमेशा पानी के संकट से जूझते रहते हैं। योजनाबद्ध कालोनियों में पानी की मानक आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 225 लीटर है, पुनर्वास कालोनियों और शहरी गाँवों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 115 लीटर है लेकिन झुग्गी बस्तियों में प्रति व्यक्ति आपूर्ति सिर्फ 50 लीटर है।

झुग्गी बस्तियों में 68 प्रतिशत परिवार पानी के लिए सामुदायिक और

सार्वजनिक नलों पर निर्भर है। ज्यादातर महिलाओं को हर दिन पानी जुटाने के लिए क़रीब एक घंटा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें दूसरे काम छोड़ने पड़ते हैं या फिर अपना खाली समय गँवाना पड़ता है। खासकर पानी के लिए रातभर कतार में खड़ा होना पड़ता है, इसलिए लड़कियों को स्कूल जाने से पहले कुछ खाने का समय भी नहीं मिल पाता। दिल्ली सरकार 2011-12 में जलापूर्ति पर प्रति निवासी सिर्फ 30 रुपए और स्वच्छता सेवाओं पर प्रति व्यक्ति 80 रुपए खर्च कर रही थी।

दूसरी तरफ किसी पांच सितारा होटल में रहने वाला हर व्यक्ति एक दिन में औसतन 1,600 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री के अधिकारिक निवास 7, रेसकोर्ड रोड में प्रतिदिन 73,300 लीटर पानी इस्तेमाल में आता है, जबकि राष्ट्रपति भवन में एक दिन में 67, 000 और मंत्रियों के घरों मे एक दिन में 30, 000 से 45, 000 लीटर पानी खर्च होता है।

भारत के ज़्यादातर शहर मुख्य तौर पर भूमिगत जल या किसी एक नदी के पानी पर आश्रित हैं लेकिन दिल्ली की किस्मत अच्छी है। उसे 85 प्रतिशत पानी सतही जल स्रोतों से मिलता है जिनमें तीन नदियाँ–यमुना, सतलुज और गंगा का पानी शामिल है। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर 102 किलोमीटर लंबी मुनक नहर का निर्माण दिल्ली और हरियाणा को ताजे पानी की आपूर्ति करने का साझा प्रयास है। (दिल्ली में छह जलशोधक संयंत्र चालू अवस्था में हैं जिनकी क्षमता प्रति दिन 56 करोड़ गैलन है जबकि शहर की अनुमानित जरूरत 80 करोड़ गैलन प्रतिदिन है। सोनिया विहार और नांगलोई के जल शोधक संयंत्र पूरी तरह तैयार हैं लेकिन पानी की कमी के कारण काम नहीं कर रहे फिर भी दिल्ली में पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूसरे बहुत से शहरों से ज़्यादा है।

दिल्ली को मिलने वाला पानी पर्याप्त है फिर भी दिल्ली में और खासकर ग़रीब इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ रही है। इसका कारण है गरीब और अमीर निवासियों के बीच पानी का असमान वितरण। अगर इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड के स्पष्टीकरण पर ध्यान दें तो किल्लत की वजह पानी की हानि है। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक ये 40 से 60 प्रतिशत है, जो पाइपलाइनों में रिसाव से होती है। अगर 85 करोड़ गैलन पानी में से 40 से 60 फिसदी पानी रिसता है तो बाढ़ आनी चाहिए! तो फिर भूमि के नीचे पानी के स्तर में कमी क्यों आ रही है? ऐसे में लाने-ले जाने में और वितरण में पानी की भारी हानि का दावा दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण करने के लिए दुष्प्रचार मात्र है।

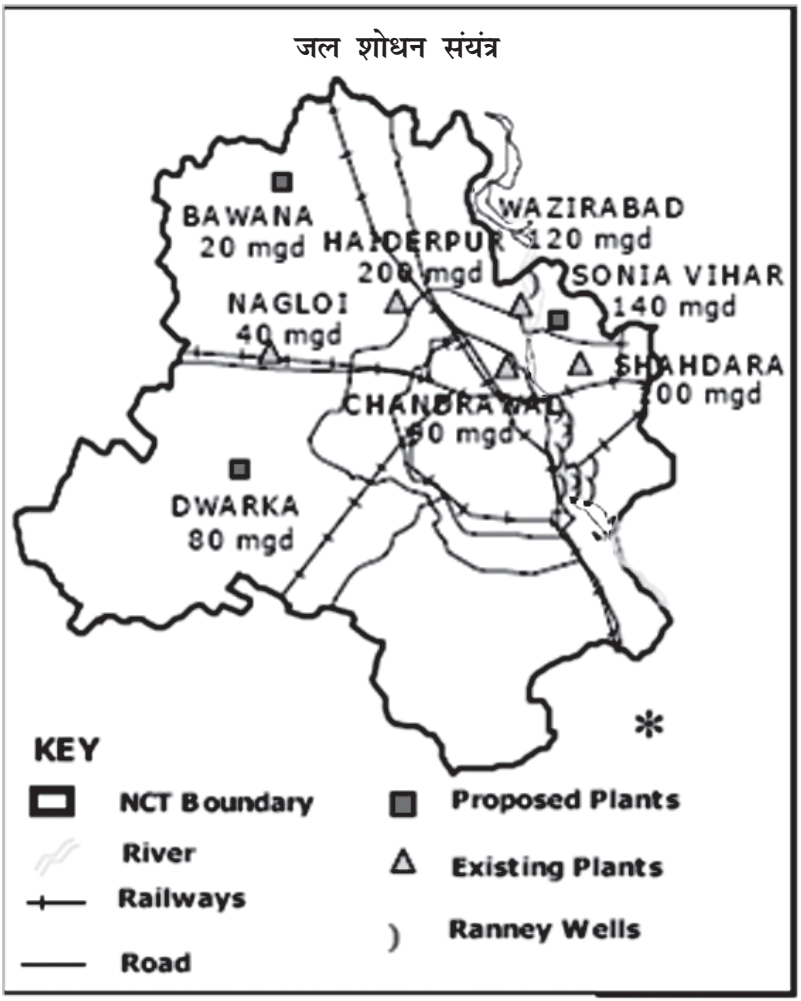

Source: Delhi 1999 – A Fact Sheet, NCRPB

दूर के स्रोतों पर निर्भरता

दिल्ली और हरियाणा के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत शहर को हरियाणा से प्रतिदिन 725 क्यूसेक पानी मिलता है। बताते हें कि इसमें से सिर्फ 425 क्यूसेक पानी ही वास्तव में दिल्ली पहुंचता है यानि सिर्फ लगभग 60 प्रतिशत। पानी हरियाणा से एक खुली नहर में छोड़ा जाता है और 40 प्रतिशत पानी वाष्पीकरण, रिसाव और अन्य अनियमित उपयोग से बीच में गुम हो जाता है। 1994 में दिल्ली ने 102 किलोमीटर लम्बी खुली नहर को 80 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन

में बदलने का प्रस्ताव रखा था, सभी प्रशासनिक मंजूरियां हासिल कर ली गईं। लेकिन इसके लिए निविदा नौ साल बाद 2003 में आंमत्रित की गईं और तब तक पाइपलाइन की लागत बढ़ कर 314 करोड़ रुपए हो गई।

खुली नहर की जगह पाइपलाइन के ज़रिए बचाए जाने वाले पानी का नाँगलोई, ओखला, बवाना और द्वारका के जल शोधन होना था। ये सब संयंत्र 1999 में बनाए गए थे। पाइपलाइन तो बनी नहीं इसलिए इन जल शोधन संयंत्रों का या तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, या हुआ भी तो उनकी क्षमता से बहुत कम।

दिल्ली में आठ जल शोधन संयंत्र हैं। इनमें से कम से कम पांच संयंत्रों की जगह का चुनाव गलत है और वो शहरी नियोजन के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि जिस आबादी तक इन संयंत्रों का शुद्ध किया हुआ पानी पहुँचना है, वो इनसे बहुत दूर बसी है। इसीलिए ढुलाई में रिसाव और बीच में ही चोरी की वजह से पानी की हानि होती है। इतना ही नहीं, पानी की ढुलाई और उसके रख-रखाव की समस्याओं के कारण सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

पानी की हानि को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया?

पानी की चोरी तो होती है लेकिन पानी की ज़्यादातर (40 से 60 प्रतिशत) हानि झुग्गी और ग़रीब बस्तियों में दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर से होने वाली आपूर्ति और सार्वजनिक नलों से होती है। ढीले कनेक्शन, टूटे-फटे पाइप और कुछ इलाक़ों में (नियमित और अनधिकृत, दोनों ही कालोनियों में) अवैध कनेक्शनों की वजह से पानी बर्बाद होता है। दिल्ली जल बोर्ड के पास भूमिगत रिसाव का पता लगाने वाला आधुनिक सिस्टम नहीं है और वह तभी हरकत में आता है जब उसे कोई शिकायत मिलती है। दिल्ली जल बोर्ड के चंद कर्मचारी ही रिसाव का पता लगाने का काम करते हैं।

दिल्ली जल बोर्ड की निगरानी और बिलिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई भर्तियां नहीं की गई हैं। 16,000 कर्मचारियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड ऐसी एजेंसी के तौर पर काम नहीं कर सकता जो सबको उत्तम, भरोसेमंद और पर्याप्त पानी की आपूर्ति की गारंटी दे सके। दिल्ली जल बोर्ड रख-रखाव और निर्माण कार्यों के ठेके देने वाली और ठेकों का प्रबंधन करने वाली एजेंसी के तौर पर ही काम करता है।

जल शोधन संयंत्रों में संचालन के दौरान पानी की हानि बहुत होती है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल शोधन संयंत्रों में बेकार जा रहे पानी को जमा कर पुनः उपयोग के योग्य बनाने की योजना बनाई थी इसके लिए तकनीकी और वित्तीय मंजूरी भी हासिल कर ली गई। लेकिन काम शुरु नहीं हुआ। वजह यह दी गई कि जब जल

शोधन संयंत्रों का निजीकरण ही होना है तो सरकार को अभी निवेश नहीं करना चाहिए।

2. निजीकरण के जरिए पानी की उपयोग कुशलता सुधारने का ग़लत तर्क। कमाई न देने वाला पानी कौन-सा है (एनआरडब्ल्यू)?

इसकी गणना किस आधार पर होती है? ये अनुमान विश्वसनीय हैं? निजी कंपनियां कमाई न देने वाले पानी की मात्रा किस हद तक कम कर सकती हैं और कैसे? दिल्ली जल बोर्ड ऐसा करने में असमर्थ क्यों है?

दिल्ली सरकार के दृष्टिकोण पत्र 2021 के अनुसार दिल्ली में पानी की आपूर्ति में 40 प्रतिशत पानी का दुरुपयोग होता है। दूसरी तरफ एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि दिल्ली की कमाई न देने वाले पानी की मात्रा कुल आपूर्ति का 53 प्रतिशत है। प्राइस वाटरहाउस और जीकेडब्ल्यू जैसी कंसल्टेंसी एजेंसियों के मुताबिक पानी की ये बर्बादी क्रमशः 48 प्रतिशत और 59 है। इन अनुमानों में काफी अंतर है और इनका कोई स्पष्ट आधार नहीं है। संचालन और रख-रखाव से होने वाली पानी की हानि आम तौर पर 5 से 15 प्रतिशत बताई जाती है।

कमाई न देने वाले पानी की अहम अवधारणा के सहारे विभिन्न कदमों को उचित ठहराया जा रहा है जिनमें जलापूर्ति गतिविधियों का निजीकरण भी शामिल है। ज़मीनी स्तर पर निष्पक्ष अध्ययनों की अनुपस्थिति में कमाई न देने वाले पानी के अनुमानों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है, ताकि न सिर्फ निजीकरण के फैसले को उचित ठहराया जा सके, बल्कि कमाई न देने वाले पानी की मात्रा घटाने में निजी कंपनियों की कुशलता के मूल्यांकन को भी बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा सके।

उदाहरण के लिए, दिल्ली जल बोर्ड के आँकड़े दिखाते है कि दिल्ली में हर रोज 5.1 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति हैंडपंपों से होती है। यह आँकडा लगभग हर गणना मे कमाई न देने वाले पानी में जोड़ दिया जाता है जबकि इसे असल में कमजोर तबक़े के जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सेवा के तौर पर देखना चाहिए।

हर क्षेत्र में कमाई न देने वाले पानी का अलग से अनुमान नहीं लगाया जाता; पूरी दिल्ली में कमाई न देने वाले पानी का अनुमान प्रत्येक ज़ोन में ऐसे पानी के अनुपात के हिसाब से लगा लिया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड की कोशिशों से कमाई न देने वाले पानी की मात्रा कम होगी लेकिन कंपनियां कुछ खास इलाक़ों में इसका श्रेय खुद ले लेंगी। निजी कंपनियों के दावे महज़ कागज़ी होंगे। उनका कोई वास्तविक आधार नहीं होगा।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पानी की बर्बादी हो रही है। संपन्न इलाक़ों और एनडीएमसी क्षेत्र के अन्य संस्थानों में पानी की आपूर्ति और बड़े होटलों में पानी के इस्तेमाल का ज़िक्र हम कर चुके हैं। पानी की बर्बादी करने वाली इस श्रेणी में औद्योगिक इकाइयाँ भी आती हैं। दो या तीन बार इस्तेमाल हो चुके पानी को फिर से इस्तेमाल योग्य बनाने की शायद ही कोई व्यवस्था है। पानी एक बार औद्योगिक कचरे की श्रेणी में चला गया तो उसे हमेशा के लिए बेकार मान लिया जाता है। घरों में भी पानी बर्बाद होता है।

पानी के दुरुपयोंग को अलग समस्या के तौर पर देखना होगा, इसे निजीकरण के लिए तर्क के तौर पर न देखा जाए। जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए शहर की माँग और आपूर्ति के अंतर का अनुमान लगाने के आँकड़ों पर दोबारा ग़ौर करना होगा। यह मान लेना ग़लत है कि निजीकरण या पानी के दाम बढ़ा देने से बर्बादी रुक जाएगी। असली ज़रूरत पानी के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण की, बर्बादी कम करने और घरों व उद्योग दोनों में उपभोग के लिए पानी की अधिकतम सीमा तय करने की है। इसके बाद जनजागरुकता को बढ़ावा देना होगा और जल संरक्षण के दिल्ली जल बोर्ड के प्रयासों में समाज को शामिल करना होगा। लोगों से अपने दांत साफ करते वक्त नल को बंद करने की हिदायत देने वाले विज्ञापन दिखाने भर से काम नहीं चलेगा।

पानी की चोरी

गर्मियों के दौरान सनातन जल संकट और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने में दिल्ली जल बोर्ड की नाकामी ने दिल्ली में पानी माफिया को जन्म दिया है, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी चुरा कर फल-फूल रहा है। निजी टैंकर वाले स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से पानी की चोरी करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से चोरी के अलावा ये टैंकर वाले मुफ्त भूमिगत जल को भी अँधाधुँध निकालते हैं फिर वही घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेच देते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी या भूमिगत जल के साथ मिला हुआ दिल्ली जल बोर्ड का पानी छोटे-छोटे निजी संयंत्रों में प्लास्टिक की थैलियों, जगों, बोतलों या जारों में भरा जाता है और फिर उसे शहर के कई इलाकों में दुकानदारों के जरिए बेच दिया जाता है। ये संयंत्र पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे हैं। ये चोरी का पानी कमाई न देने वाले पानी का एक अहम हिस्सा है। हालाँकि इसका कोई स्पष्ट अनुमान मौजूद नहीं है। जल वितरण के निजीकरण को सही ठहराने वाली एक बड़ी दलील यह है कि कंपनियाँ चौकन्नी रहेंगी और चोरी को रोकेंगी। लेकिन अगर माँग और आपूर्ति के बीच बड़ा

अंतर होगा तो चोरी जारी रहेगी और निजी कंपनियाँ चोरी वहीं रोकेंगी, जहाँ उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिल रहा होगा और जहाँ से पानी उन जिला मीटर्ड क्षेत्रों में प्रवेश करेगा जहाँ उन्हें पानी सप्लाई करने का ठेका मिला होगा। निजी कंपनियों का ध्यान शायद संपन्न सुनियोजित कालोनियों पर ही केंद्रित होगा जहाँ से उन्हें कमाई का पूरा भरोसा होगा, जो पूरे शहर का एक छोटा-सा हिस्सा ही होगा।

पानी की इस किल्लत के बीच 24 घंटे आपूर्ति का वायदा कितना उचित है?

जलापूर्ति के निजीकरण के पीछे विचार यह है कि रिहायशी कालोनियों को दो जिला मीटर्ड क्षेत्रों (डीएमए) में बांटा जाएगा और जिला मीटर क्षेत्रों को निजी कंपनियां हर रोज 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएंगी। माना यह जा रहा है कि इससे पानी की जमाखोरी कम होगी, पंपिंग और भंडारण की ग्राहक की लागत भी घटेगी। लेकिन अगर दिल्ली में पहले ही प्रतिदिन 25 करोड़ गैलन पानी की किल्लत है, जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड दावा करता है, तो निजी कंपनियों को वितरण के लिए पर्याप्त पानी कैसे मुहैया कराया जाएगा? दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि पूरे शहर के लिए हर दिन 24 घंटे की आपूर्ति की कोई योजना तैयार नहीं की गई है, सिर्फ चुनिंदा इलाक़ों में निर्बाध आपूर्ति होगी। पानी को अन्य क्षेत्रों से संपन्न कालोनियों की तरफ मोड़ दिया जाएगा क्योंकि कुछ कालोनियों में जलापूर्ति का प्रबंधन निजी कंपनियों के हाथों में होगा। इतना ही नहीं, अगर दिल्ली जल बोर्ड कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति कर भी दे तो निजी कंपनियों का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होगा कि हर घर में प्रतिदिन 24 घंटे पानी पहुंचा या नहीं, बल्कि मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि उन्होंने हर जिला मीटर्ड क्षेत्र के इनपुट पॉइंट पर प्रतिदिन 24 घंटे पानी की आपूर्ति की या नहीं। पानी कंपनियाँ एक ही जिला मीटर्ड क्षेत्र में पानी को एक इलाक़े से दूसरे इलाक़े में भेज सकती हैं। इससे न तो कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित होगा और न ही इसे लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन मान जाएगा। पानी कंपनियाँ पानी को बड़े होटलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि की तरफ मोड़ कर ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश करेंगी क्योंकि ये प्रतिष्ठान बड़ी मात्रा में और ऊंचे दामों पर पानी खरीदेंगे।

3. निजीकरण की प्रस्ताविक योजना से क्या हासिल होगा?

दिल्ली सरकार के बजट में परिवहन के बाद पानी और स्वच्छता को प्राथमिकता मिलती है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2011-12 के अपने बजट में कुल 1,716.28 करोड़ रुपए के खर्च पेश किया है। इसमें संचालन और रख-रखाव से जुड़े कामों के लिए किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी से इन्कार किया है। मुख्य

कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि अधिशेष राजस्व कमाया गया जो बिना सब्सिडी, बोर्ड की संचालन और रख-रखाव गतिविधियों के लिए पर्याप्त होगा। पिछले बजट में दिल्ली जल बोर्ड को सरकार से संचालन और रख-रखाव के खर्चों के लिए 350 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली थी।

27 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में मालवीय नगर, वसंत विहार और नांगलोई में भूमिगत भंडारण और जल शोधन संयंत्रों के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव को योजना आयोग के साथ सलाह मशवरे के बाद तैयार किया गया है। योजना आयोग ने शहर में जल सेवाओं में सुधारों को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताया है। 145 करोड़ रुपए वाली एक निजी-सार्वजनिक साझेदारी परियोजना को भी मंजूरी दी गई है जिसके तहत महरौली में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। इस परियोजना में 12 साल की अवधि के लिए संचालन और रख-रखाव की लागत शामिल है।

इससे पहले, 2011 में दिल्ली जल बोर्ड की पहली बैठक में, निम्नलिखित फैसले लिए गए।

1. दिल्ली में टैंक से जलापूर्ति के निजीकरण की एक परियोजना को मंजूरी दी गई जिसमें सुभाष प्रोजेक्ट्स एंउ मार्केटिंग लिमिटेड (एसपीएमएल) को दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के लिए सात साल का ठेका दिया गया।

2. दिल्ली में 2.5 लाख मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने और रख-रखाव का प्रस्ताव था और इसके लिए लारसन एंड टुब्रो को पाँच साल का एक ठेका दिया गया।

दिल्ली सरकार ने पानी की बिलिंग और मीटर लगाने के काम में कंसलटेंसी सर्विसेज को शामिल कर लिया। दिल्ली जल बोर्ड ने वज़ीराबाद, चंद्रावल, सोनिया विहार, नाँगलोई, हैदरपुर और भागीरथी की ईकाइयों के लिए जल शोधन और वितरण आबंटित करने की योजना की भी घोषणा की। इन जल शोधन ईकाइयों का प्रबंधन वितरण कंपनियों को सौंपा जा सकता है। ऐसा दिल्ली जल बोर्ड के साथ हुए पीपीपी समझौते के तहत होगा जिसके लिए वैधानिक मंजूरी ली जा चुकी है। खबर है कि मीटर, बिलिंग, संग्रह और जल वितरण के मुद्दे पर टाटा-पावर और बीएसईएस ने पहले ही दिल्ली जल बोर्ड से चर्चा शुरु कर दी है।

दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण करने के लिए पिछले प्रयास

1994 से कई सारे महत्वपूर्ण काम निजी कंपनियों को सौंपे गए, जिनमें छोटे स्थानीय ठेकेदारों से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ शामिल रहीं। बिलिंग की पूरी

प्रक्रिया, पंपिंग सुधारने के काम और पंपिंग स्टैशन की निकासी व्यवस्था, सीवर लाइनों सफ़ाई निकालने और उनके पुनर्वास और जल शोधन संयंत्रों और दूषित पानी के संयंत्रों के संचालन का निजीकरण किया गया। फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी डेग्रेमों छह जल शोधन संयंत्रों (सोनिया विहार, ओखला) और दूषित पानी के संयंत्रों (रिठाला, दिल्ली गेट, पप्पन कलां और सेन नर्सिंग होम) का संचालन और रख-रखाव करती है।

सोनिया विहार के संयंत्रों का 2002 में उद्घाटन हुआ जिसे सुएज-डेग्रेमों ने 5 करोड़ डॉलर के ठेके पर खुद-बनाओ-चलाओ के आधार पर तैयार किया। लेकिन यह प्रतिदिन 63.5 करोड़ लीटर की क्षमता से काफी नीचे काम कर रहा है क्योंकि इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऊपरी गंग नहर से प्रस्तावित पानी नहीं मिला। डेग्रेमों को पानी उपलब्ध कराने में नाकाम रहने के कारण दिल्ली सरकार को फ्रांस की इस कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ा।

1998-99 में दिल्ली जल बोर्ड बनते ही विश्व बैंक ने उसे अपनी परियोजना निर्माण सुविधा (पीपीएफ) का लाभ उठाने की सलाह दी थी। दिसंबर 1999 में दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसे पीपीएफ के लिए सलाहकार चुनने और इस प्रक्रिया को शुरु करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2001 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना (डीडब्ल्यूएसएसपी) के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1,600 करोड रुपए के कर्ज़ का प्रावधान था।

प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशों की कि दिल्ली में जल का स्वामित्व, प्रबंधन और उसका नियमन अलग होना चाहिए। सरकार के पास बुनियादी ढांचे का स्वामित्व होगा और वह जलापूर्ति सेवाओं का संचालन और प्रबंधन करेगी। सेवाएं मुहैया कराने का काम बिल्कुल एक अलग सेवा प्रदाता करेगा। पीडब्ल्यूसी का तर्क यह था कि सेवा प्रदाता खुद शुल्क तय नहीं कर सकता और न ही वह सेवा गुणवत्ता के मानकों को लागू कर सकता हैं और इसके लिए एक स्वतंत्र नियामक की जरूरत होगी।

पीडब्ल्यूसी ने शुल्कों में भी बदलाव की सिफारिश की जिनमें (1) महिने का निश्चित भुगतान (2) इस्तेमाल किए गए पानी के आधार पर दरों की दो श्रेणियों में शुल्क (3) 100 प्रतिशत अधिभार और (4) काम न कर रहे मीटरों पर 30 प्रतिशत का अधिभार शामिल है। औसतन पाँच लोगों के परिवार से संचालन और रख-रखाव की लागत की पूरी वसूली 2005-06 में मासिक बिल के तौर पर 990 रुपए बैठती है जबकि इससे पहले का औसत बिल 192 रुपए था।

जब निजीकरण की योजना बनाई गई थी उस वक्त इनमें निम्नलिखित प्रावधान थे: दिल्ली में जलापूर्ति के 21 क्षेत्रों (ज़ोन) का प्रबंधन किसी विदेशी कंपनी के हाथ में होगा, हर ज़ोन में चार प्रबंधकों की टीम होगी जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ प्रबंधक करेगा। यह तय किया गया कि हर मैनेजर को हर महीने 24,400 डॉलर (प्रति डॉलर 45 रुपए के हिसाब से 11 लाख रुपए) की निश्चित मासिक फीस दी जाएगी। इसका मतलब है कि प्रति ज़ोन 44 लाख प्रति महीने दिए जाएंगे और पूरे शहर के लिए प्रति महीने 924 लाख रुपए। इस तरह दिल्ली जल बोर्ड पर हर साल 111 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ना तय है। दिल्ली जल बोर्ड के सभी कर्मचारी इस टीम की देखरेख में काम करेंगे। इसके अलावा विदेशी संचालक कंपनी अगर अपने लक्ष्य को पार कर लेती है तो उसे बोनस भी दिया जाएगा। विदेशी संचालक को हर साल इंजीनयरिंग कंसलटेंसी फीस भी दी जाएगी जिसकी एवज में वह हर ज़ोन में सेवाओं को सुधारने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को अतिरिक्त कदम उठाने के लिए सुझाव देगी। इसके साथ ही जल संचालक को हर वर्ष की शुरुआत में दिल्ली जल बोर्ड की परियोजना नियंत्रण समिति (पीपीसी) के सामने सालाना संचालन बजट पेश करना है जिसे 'समय से पारित करना आवश्यक' होगा। इस प्रावधान का यह अर्थ हुआ कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों का पानी की क़ीमतों में कोई दखल नहीं होगा और वे सालाना संचालन बजट से तय होगी। जल संचालक पूरे साल में अपनी राशि को बढ़वाने के लिए चाहे जितनी बार दिल्ली जल बोर्ड से संपर्क कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जल कंपनियों ने पानी का शुल्क बढ़ाने के लिए निजीकरण अनुबंध में इस प्रावधान का जम कर दुरुपयोग किया है।

पानी के ज़ोन का प्रबंध संचालन दिल्ली जल बोर्ड के साथ बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति का समझौता करेगा और दिल्ली जल बोर्ड को हर ज़ोन के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी देना होगा। दिल्ली जल बोर्ड को कच्चा पानी मिलता है जिसका शोधन करके वह उसे ट्रांसमिशन लाइनों से हर ज़ोन के इनपुट पॉइंट पर भेजेगा। उस ज़ोन का प्रबंध संचालक फिर दिल्ली जल बोर्ड के उस पानी को ज़ोन के भीतर जिला मीटर इलाक़ों (डीएमए) तक पहुँचाएगा।

निजीकरण की यह योजना इस तरह तैयार की गई है कि विदेशी निजी संचालक के लिए बिल्कुल जोखिम न रहे: उसे सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड से मिलने वाले पानी का वितरण करना है। जल संचालक तभी सातों दिन 24 घंटे पानी मुहैया कराएगा जब उसे दिल्ली जल बोर्ड पानी की आपूर्ति करेगा। वरना संचालन पर सातों दिन 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह विडंबना है

कि विदेशी संचालक के पास पानी को बड़े होटलों, औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तरफ मोड़ने की आजादी होगी क्योंकि जल कंपनी का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होगा कि सब घरों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति हुई या नहीं, बल्कि उसका आधार यह होगा कि जल संचालन ने हर जिला मीटर क्षेत्र में सातों दिन 24 घंटे पानी की आपूर्ति की या नहीं। इससे न तो संचालक का प्रदर्शन प्रभावित होगा और न ही इसे लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन माना जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि कंसलटेंट्स ने अगले पांच वर्षों के लिए एनडीएमसी और कैंट के इलाकों के लिए पानी के पानी के शुल्कों में किसी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया। इसका यह मतलब है कि एनडीएमसी और कैंट के इलाकों में रहने वाले लोगों का भार एमसीडी में रहने वाले लोगों पर पड़ना तय है।

लेकिन बड़े पैमाने पर जनविरोध और दिल्ली में सेवाओं के निजीकरण को बढ़ावा देने में विश्व बैंक की भूमिका का खुलासा होने पर दिल्ली सरकार ने जल के निजीकरण पर रोक लगा दी। अगस्त 2005 में जब विश्व बैंक के प्रमुख पॉल वोल्फविट्स ने दिल्ली का दौरा किया, उन्हें 'पिछले दरवाजे से जल का निजीकरण करने से जुड़ी बैंक की नीतियों और शर्तों' के कारण कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जल लोकतंत्र नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने वोल्फविट्स को कड़ा संदेश दिया कि ''पानी से दूर रहिए।'' इस परियोजना का व्यापक विरोध होने पर दिल्ली सरकार ने इसे छोड़ दिया।

दिल्ली में जल के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष

निजीकरण के विरोध में पहले भी संघर्ष हुए हैं, जिनमें से कुछ बहुत सफल रहे:

ï वर्ष 2000 में दिल्ली मंत्रिमंडल ने वज़ीराबाद शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) को विवेंदी त्रिवेणी के साथ अनुबंध के ज़रिए संचालित करने का प्रस्ताव रखा क्योंकि वह क्षमता से कम काम कर रहा है। इस प्रस्ताव पर दिल्ली जल बोर्ड ने भी अपनी सहमति दी। दिल्ली जल बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने इसके विरोध में कई धरने और प्रदर्शन किए। वज़ीराबाद जल शोधन संयंत्र के इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ हुई बैठक और जल शोधन संयंत्र के वास्तविक आँकड़ों के साथ कर्मचारी यूनियन के विस्तृत अध्ययन से यह बात साबित हुई कि जल शोध न संयंत्र पर क्षमता से कम करने का आरोप सही नहीं है। विवेंदी 2001 में इससे पीछे हट गया।

ï वर्ष 2005, सार्वजनिक विरोध, बहसों और प्रदर्शनों ने दिल्ली सरकार को दिल्ली जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना के तहत निजीकरण की पूरी प्रक्रिया

पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के 50 से ज़्यादा प्रोफेसर और पूर्व छात्रों ने जल निजीकरण की पूरी योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की और दिल्ली सरकार को परियोजना के लिए विश्व बैंक का कर्ज न लेने के लिए खबरदार किया। उन्होंने माँग की कि शहर में पानी की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए रेज़िडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ-साथ सरकार आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञों की मदद लें। अत्यधिक सार्वजनिक दबाव के आगे झुकते हुए दिल्ली सरकारने विश्व बैंक में दिया गया ऋण का अपना आवेदन वापस ले लिया।

ï जुलाई 2011 में, जल के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ सैंकड़ों लोगों ने पदयात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने वालों में जाने माने कानूनविद और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पीयूसीएल के पूर्व सचिव न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर भी शामिल थे। एक शिष्टमंडल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिस पर हजारों लोगों के हस्ताक्षर थे। इसके बाद जल सेवाओं के निजीकरण के विरोध में 15 नवंबर 2011 को एक नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल निजीकरण-व्यवसायिकरण प्रतिरोध समिति बनाई गई और न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर को इसका संरक्षक बनाया गया।

3. जल पर अधिकार और जल व स्वच्छता सेवाओं का निजीकरण

जल पर अधिकार की अवधारणा में पूर्व औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद के भारत में बहुत बदलाव आए हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक पानी के विभिन्न इस्तेमाल से जुड़े जो अधिकार कभी लोगों और समुदायों के पास होते थे, वे अब शासन के स्वार्थी हाथों में चले गए हैं। जल पर आम लोगों का अधिकार अब बेहद कमज़ोर हो गया और लोगों के नाम पर शासन ही पूरी तरह इन अधिकरों का संरक्षक बन गया है। इसके साथ ही, उदारवाद आने के बाद से शासन और निजी पूँजी के बीच का संबंध भी व्यापक बदलावों से गुजरा है।

इससे पानी पर अधिकार को लेकर दो अवधारणाओं का जन्म हुआ। एक तो गैट (GATT) और डब्ल्यूटीओ के तहत पानी को व्यापार योग्य वस्तु समझा गया और जलापूर्ति को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (GATS) के तहत लाया गया, जिससे निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में जल-सेवा प्रदाता के तौर पर दाखिल होने का रास्ता खुल गया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र अपने गठन के बाद से ही कहता रहा है कि जल 'मानव अधिकार' है और वह अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा इस अधिकार के उल्लंघन के विरोध में आवाज उठाता रहा है। 2010 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलिविया की तरफ से पेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। विकासशील राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव का भरपूर समर्थन किया जिसमें जल और स्वच्छता पर अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया गया।

वर्ष 2002 की राष्ट्रीय जल नीति में एक अनुच्छेद है जिससे निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिए जलापूर्ति में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिलता है। इसने जलापूर्ति में निजीकरण के द्वार खोल दिए, ख़ासकर भारत के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, देवास, मक्सी (सभी मध्य प्रदेश में); हैदराबाद, विशाखापत्तनम, काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश); बोराई (छत्तीसगढ़); बैंगलोर (कर्नाटक); चेन्नई, तिरुपुर (तमिलनाडु); राजकोट, अमदावाद (गुजरात); पुणे, सांगली-मिरज (महाराष्ट्र); हल्दिया (पश्चिम बंगाल); जमशेदपुर (झारखंड) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) जैसे छोटे शहरों में निजीकरण की पदचाप सुनाई देने लगी। बहुत से राज्यों ने पानी के क्षेत्र के सुधारों/पुनर्गठन के लिए विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक

से ऋण के समझौते भी कर लिए हैं। ऋण की शर्तें दूर तक प्रभाव डालने वाली हैं जिनमें संपत्ति कर बढ़ाने से लेकर सीवर-ड्रेनेज कर, स्वच्छता कर और निवेश-मुनाफा कर जैसे नए कर लगाना शामिल है, इनमें से अंतिम कर असल में ऋण की किश्त के भुगतान का होगा। इन सभी ऋण समझौतों में एक जैसे प्रावधान हैं: जल नियमन प्राधिकरण का गठन, शहरी जलापूर्ति को निजी इकाइयों को सौंपना, पूरी लागत-वसूली का सिद्धांत, समाज के ग़रीब और कमज़ोर तबक़ों को ध्यान में रखकर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को खत्म करना, जल से जुड़े शुल्कों में भारी वृद्धि और कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छँटनी। एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सरकार जरूरी खर्चों के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराती रहेगी।

जनवरी में जल नीति 2012 का मसौदा जारी किया गया। राष्ट्रीय जल नीति के 15 पन्नों के इस मसौदे में सुझाव दिया गया है कि सरकार को जल क्षेत्र में सेवा प्रदाता के तौर पर अपनी भूमिका छोड़ देनी चाहिए तथा समुदायों और निजी क्षेत्रों को यह भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन प्रस्तावों का अर्थ ये है कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पानी के दामों में इजाफ़ा हो सकता है। दावा है कि इससे जल का दुरुपयोग कम होगा लेकिन सच यह है कि पानी तक लोगों की पहुँच भी मुश्किल होगी। नीति के मसौदे में कृषि से लेकर घरेलु क्षेत्र में दी जाने वाली सभी तरह की जल संबंधी सरकारी सब्सिडियां खत्म करने की बात कही गई है। इसके बजाय कहा गया है कि सब्सिडी और प्रोत्साहन निजी उद्योग को दिया जाना चाहिए ताकि दूषित पानी को फिर से इस्तेमाल योग्य बनाया जा सके। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि कृषि के लिए बिजली इस्तेमाल करने वालों को दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म की जाए। इसके पीछे बिजली और पानी, दोनों के दुरुपयोग की दलील दी गई है।

जल सेवाओं को दोबारा नगरनिगमों के दायरे में लाना :

निजी कंपनियों के निराशाजनक अनुभव को देखते हुए पूरी दुनिया में जल सेवाओं को दोबारा नगर निगम के दायरे में लाने का चलन जारी है। इस बारे में सबसे बढ़िया उदाहरण पैरिस का है, जो जल क्षेत्र में निजीकरण से जुड़ी बेहतरीन फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की मिसाल हुआ करता था। इसके अलावा जर्मनी में स्टटगार्ट और बर्लिन, कनाडा में हैमिल्टन, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयरस, तंजानिया में दारेस्सलाम जैसी और भी मिसाल हैं। वहीं मलेशिया में अब संघीय सरकार देश में जल और दूषित जल के बुनियादी ढांचे को खरीदने और उसे फिर सार्वजनिक धन से विकसित करने की प्रक्रिया में है। यह विडंबना है कि दिल्ली सरकार इन सब अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सबक लिए बिना निजीकरण के प्रयास कर रही है।

तथाकथित सार्वजनिक–निजी भागीदारी की बजाय अब सार्वजनिक– सार्वजनिक साझेदारी (पीयूपी) का एक नया मॉडल उभर रहा है, जहाँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सफल और अनुभवी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े लोगों को सूचना और अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। यहां भी सफलता की कई शर्तें हैं। इनमें से एक है इस प्रक्रिया में कर्मचारियों, कामगारों और यूनियनों की भागीदारी जिसका विस्तार बाद में उपभोक्ताओं और जनता तक हो। एक अन्य शर्त है–संसाधनों को सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ मोड़ना और बहुत से नगर निगमों की खस्ता हालत के बावजूद जनता की भलाई पर जोर देना। ये दोनों ही शर्तें भारत में नीति और वित्तीय संसाधनों के प्रबंध न में कुछ बुनियादी बदलावों की जरूरत की तरफ इशारा करती हैं।

दिल्ली में पानी और स्वच्छता सेवाओं को सुधारने के लिए किस चीज की ज़रूरत है?

12वीं योजना के लिए शहरी और औद्योगिक जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी कार्यदल ने दिल्ली जैसे शहरों की स्थिति का अपनी रिपोर्ट में बड़े सटीक ढंग से बयान किया है:

शहर, पानी के लिए अपने पैर पसार रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी के लिए नए स्रोत तलाश करना, आपूर्ति का बुनियादी ढांचा सुधारने से ज़्यादा आसान लगता है। दूर से पानी लाने की पहली समस्या यह है कि इससे लागत बढ़ती है क्योंकि पानी की ढुलाई में उसकी बड़ी हानि होती है और शहर पानी के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए जूझ रहे हैं।

दूसरे, जल सुविधाओं का ज़्यादातर बजट पहले पाइपलाइन बिछाने और फिर उनकी मरम्मत में ही खर्च हो जाता है। प्रति किलोमीटर इसकी अनुमानित लागत एक करोड़ रुपए बैठती है। इसके अलावा हर घर को पाइपलाइन के नेटवर्क से जोड़ने पर 20 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। आजकल बहुत सारे शहर अपने जलापूर्ति बजट का बड़ा हिस्सा बिजली के बिल देने में खर्च करते हैं। उन्हें पहले पानी लाने के लिए पंपिंग का सहारा लेना होता है और फिर उसे पंप से घरों तक पहुंचाना होता है। इस प्रक्रिया में पानी की काफी हानि भी होती है। सरकार को दिल्ली के जल क्षेत्र में सुधार के लिए 12वीं योजना में शहरी और औद्योगिक जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी कार्यदल की इन सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

ï शहरों को पानी के स्रोत उस आबादी के पास ही रखने चाहिए जिसे आपूर्ति होनी है। बारिश या नदियों के पानी को संजोने वाले तालाब और झीलों के साथ

भूमिगत कुएँ होने चाहिए। इन स्रोतों से शहर की पानी की जरूरत तो पूरी नहीं होगी। लेकिन इससे निश्चित तौर पर जलापूर्ति पाइपलाइन की शुरुआत होगी। इसके अलावा बर्बाद पानी को वापस लेकर उसका शोधन करने और उसे वापस तालाबों, झीलों और भूमिगत कुओं में भरने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। लेकिन झील और तालाब जैसे सभी स्थानीय स्रोत नष्ट किए जा रहे हैं। विडंबना यह है कि सुधारों के परिणामस्वरूप जल के बढ़े हुए शुल्कों के कारण भूमिगत पानी पर निर्भरता बढ़ी है। भूमि से जल निकालने के नियम तय करना टेढी खीर रहा है क्योंकि लाइसेंसिंग से इस काम की लागत बढ़ती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

ï परिवर्तन के एजेंडा के अंतर्गत हर शहर को अपने जल स्रोतों को आपूर्ति का पहला स्रोत मानना चाहिए। जब तक इन्हें जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के तौर पर विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक इनके संरक्षण की बातें जुबानी जमा खर्च ही साबित होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनके आसपास की जगह को दिल बहलाने के लिए सजाने-संवारने के प्रयास किए जाएंगे, उन्हें जीवनदायी सेवा के रूप में विकसित करने के लिए नहीं। अतः शहरों को जल परियोजनाओं के लिए पैसा तभी मिलना चाहिए, जब वे स्थानीय जल स्रोतों से जलापूर्ति का हिसाब दें। यह महत्वपूर्ण शर्त है। इससे संरक्षण और बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा जिससे स्थानीय तौर पर पानी की आपूर्ति होगी और गंदे पानी को भी स्थानीय स्तर पर वापस लिया जा सकेगा।

12वीं योजना से संबद्ध कार्य समूह की रिपोर्ट में असहमति की एक टिप्पणी में से निम्नलिखित बिन्दु भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी दिल्ली सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है:

'इस क्षेत्र में प्रशासन की बुनियादी समस्याओं का समाधान किए बिना, भले ही कितने भी वित्तीय संसाधन लगा दिए जाएं, कितने ही तकनीकी परिवर्तन कर दिए जाएं, कितना ही बुनियादी ढाँचा विकसित कर लिया जाए और कितना ही अतिरिक्त पानी ला दिया जाए, इन सब का प्रभाव सीमित ही रहेगा। मोटे तौर पर हम इस क्षेत्र की प्रशासनिक समस्याओं को ऊपर से नीचे तक और ज़रूरतों के आकलन से लेकर संचालन और रख-रखाव तक विभिन्न स्तरों पर शहरी जल उपभोक्ताओं की भागीदारी का अभाव मानते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों और विभिन्न चरणों में प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी है। इन दोनों बातों से जुड़ा तीसरा मुद्दा संस्थागत जवाबदेही के नियमों और तंत्रों से जुड़ा है जिससे गंभीर समस्याओं की पहचान की जा सकेगी और समस्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को समयबद्ध ढंग से जवाबदेह बनाया जा सकेगा।'

दिल्ली सरकार से हमारी माँगें

1. निजीकरण व्यवसायीकरण के निर्णयों का को तुरंत वापस लिया जाए।
2. झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों में विकास शूल्क लिए बिना ही पानी की पाइप लाइनें डाली जाए।
3. दिल्ली जल बोर्ड की बिलिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाए। बिलों में हर वर्ष होने वाली 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और यह वापसी 2010 से लागू मानी जाए।
4. हर महीने 10 किलो लीटर से कम पेयजल की ज़रूरत वाले घरों के लिए शून्य शूल्क को फिर लाया जाए, जो के दक्षिण अफ्रीकी मॉडल से लिया गया था।
5. दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति में असमानता को दूर किया जाए। एनडीएमसी और कैंट इलाकों में भी प्रति व्यक्ति उतना ही पानी मिलना चाहिए जितना एमसीडी में मिलता है। दिल्ली सरकार हर महीने दिल्ली के सभी इलाकों में होने वाली प्रति व्यक्ति आपूर्ति का ब्यौरा जारी करे।
6. विभिन्न चरणों में पानी की हानि की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया जाए और उसका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।
   I. दिल्ली के लिए नहर से पानी लाने में होने वाली पानी की हानि
   II. जल शोधन के दौरान होने वाली पानी की हानि
   III. पाइपलाइन से मेनलाइन स्तर पर आपूर्ति के दौरान होने वाली हानि
   IV. पाइपलाइन से वितरण के दौरान होने वाली हानि
7. पूरी रिंग रोड पर, बाजारों में और गरीब बस्तियों में नियमित अंतराल पर पियाऊ/सार्वजनिक नल और सार्वजनिक शौचालय फिर लगाए जाएं। तकनीक और कर्मचारियों की मदद से यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां लगे नल ठीक काम कर रहे हैं और पानी की बर्बादी न हो।
8. यमुना नदी का पूरा तल और उसके आसपास की जमीन बालू से छने पेयजल का जलाशय है। सरकार यमुना नदी तट पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक योजना तैयार करे। अक्षरधाम मंदिर के निर्माण, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हुए निर्माण और इस तरह की अन्य परियोजनाओं से यमुना के तट का अतिक्रमण हुआ है।

9. दिल्ली जल बोर्ड की बिलिंग व्यवस्था को सार्वजनिक जांच के लिए खोला जाए। सभी निवासियों और व्यवसायियों के पानी के मासिक बिल सार्वजनिक होने चाहिए और दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होने चाहिए। इससे बिजली के बिलों में होने वाली धांधली का पता लगाया जा सकेगा।

10. दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए पाइपलाइन से सुरक्षित और पर्याप्त पानी मुहैया कराने, सीवरेज और कचरा निपटान की सेवाएं मुहैया कराने के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों को पेयजल माफिया या पानी के टैंकर से होने वाली आपूर्ति या पानी के लिए गैर सरकारी संगठनों के रहमोकरम पर नही छोड़ा जाए। उन्हें पानी और स्वच्छता सेवा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है।

11. दिल्ली जल बोर्ड की जवाबदेही बढ़ाई जाए। उसे सार्वजनिक जांच के दायरे में लाया जाए और उसके कामकाज पर नियंत्रण रखा जाए। सरकार को एरिया कमेटी बनाने के लिए कदम उठाने होंगे, जिसमें स्थानीय लोग दिल्ली जल बोर्ड के काम की निगरानी करेंगे। रेज़िडेन्ट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन्स और इस तरह के अन्य संगठनों को जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

12. दिल्ली जल बोर्ड के तंत्र को मजबूत किया जाए।

    (i) इसे सिर्फ पानी के वितरण तक सीमित न रख कर पानी के संरक्षण का काम भी सौंपा जाए। इसमें नदियों के तटों के संरक्षण, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना और पानी की गुणवत्ता की निगरानी रखना शामिल होना चाहिए।

    (ii) पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना को साझा करने के लिए तंत्र और कर्मचारियों को सक्षम बनाया जाए।

    (iii) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। पर्याप्त मात्रा में इंजीनियरों के साथ-साथ गैर तकनीकी स्टाफ को भी नियुक्त किया जाए ताकि अच्छी सेवा देने के साथ-साथ लोगों की शिकायतों को तुरंत दूर किया जा सके।

13. जल एक सामाजिक संपदा है, इसलिए दिल्ली सरकार को दिल्ली जल बोर्ड को ऐसा सेवा प्रदाता नहीं बनाना चाहिए जो पूरी तरह वसूली के

आधार पर काम करे। दिल्ली जल बोर्ड का मौजूदा कर्ज पहले लिए गए ऋणों पर लगातार चढ़ रहे ब्याज की देन है। यही दिल्ली जल बोर्ड के लगातार बढ़ते घाटे की भी वजह है। दिल्ली सरकार इस कर्ज को आश्रिक मदद में मदल कर तुरंत खत्म कर दे।

14. 'सुधारों' से जुड़े इन सभी दस्तावेजों को दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
    (i) समितियों की रिपोर्ट
    (ii) सरकार और नीजि कंपनियों के बीच जल वितरण, राजस्व संग्रहण और अन्य गतिविधियों से जुड़े सहमति पत्र;
    (iii) सुधारों से जुड़े वित्तीय खर्च का ब्यौरा
    (iv) दिल्ली जल बोर्ड की बैठकों की ताजा जानकारी
    (v) सुधारों के संबंध में लिए गए सभी बड़े फैसले
    (vi) सुधारों से जुड़ी दिल्ली विधानसभा की बहस
    (vii) लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, नागरिकों और नागरिक समूहों की आपत्तियां
15. दिल्ली जल बोर्ड के पुनर्गठन की किसी भी योजना पर व्यापक सार्वजनिक सलाह-मशविरा होना चाहिए जिसमें विशेषज्ञ, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विकल्प

दिल्ली के उन्नीसवीं सदी के शुरुआती मानचित्रों की तुलना आज के मानचित्रों से की जाए तो पता चलता है कि अब सारी हरी-भरी जगहें कंक्रीट का जंगल हो गई है क्योंकि शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसने प्राकृतिक सतही और सतह के एकदम नीचे वाली जल निकासी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से ज़मीन की पानी सोखने की क्षमता में भी कमी आई है जिसके कारण शहर के कई हिस्सों में मॉनसून के दौरान बाढ़ आ जाती है। ज़यादातर सड़कें जल निकासी नालियों के एकदम ऊपर बनी हैं जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है।

इसके अलावा, दिल्ली में मैट्रों परियोजना के लिए व्यापक खुदाई के कारण भी बची-खुची प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस सबके कारण भी यमुना के पानी में कमी आई है। सभी राज्यों में यमुना के पानी की उपलब्धता घटी है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी बड़े पैमाने पर कंक्रीट निर्माण हुआ।

एक गैर सरकारी संगठन, पानी मोर्चा ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें यमुना और गंगा में पानी का प्रवाह समुचित स्तर पर रखने के साथ-साथ यह माँग भी की गई कि यमुना में बिना साफ किया हुआ गंदा पानी न डाला जाए। अधिकारियों ने स्थिति बदलने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण कुछ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से वैकल्पिक नीतियों या कार्ययोजना का सुझाव देने को कहा। बाद में पानी मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत योजना सौंपी जिसमे दिल्ली में पानी की स्थिति सुधारने के उपायों का सुझाव दिया। इनमें शामिल हैं:

- दिल्ली में बाढ़ के मैदानों में पाँच जलाशय बनाए जाएं–दो वज़ीराबाद बैराज के ऊपर, होर्सशू झील का पुनरुद्धार हो, एक जलाशय कालिंदी कुंज और एक नाला मुंडेला में बनाया जाए।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो जलाशय बने–एक हिंडन चैनल पर और एक नजफगढ़ झील पर।
- शहर के स्तर पर बारिश के पानी को तालाबों और पोखरों में संरक्षित किया जाए। शहर भर में ये तालाब और पोखर हैं लेकिन उन्हें भरकर उनकी जगह इमारतें खड़ी की जा रही हैं या फिर उनमें कूड़ा भर दिया जाता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक शहर में 700 से 1,000 तालाब हैं।
- वर्षा जल को व्यक्तिगत स्तर पर संरक्षित किए जाने की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर भूमिगत जल का स्तर सुधरेगा। कानून बनाकर सभी व्यवसायिंक उपभोक्ताओं को जल संरक्षण करने के लिए बाध्य किया जाए।
- तिलपत रेंज झील का पुनरुद्धार किया जाए।
- आज भी, दिल्ली में छोटे–बड़े 550 तालाब, बावलियां और कुएं जैसे जल के खुले स्रोत हैं और उनके पुनरुद्धार से एक करोड़ घन मीटर पानी संरक्षित किया जा सकता है।
- तीन धाराओं–साहिबी, तिलपत और सतपुला का, जलग्रहण–क्षेत्र विकास के ज़रिए पुनरुद्धार किया जाए, चकबंधों का निर्माण हो और तालाब बनाए जाएं और अत्यधिक निर्माण वाले क्षेत्रों में तालाब और सुरंगें बनें और सुरंग या फिर कृत्रिम जल निकासी व्यवस्था की जाए।
- 20 से ज़्यादा इलाकों में इको–पार्क और नाली के पानी साफ करने के संयंत्र लगाएं जाएं। इस्तेमाल न हुए गंदे पानी और सेमी–इको पार्कों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ किया जाए।
- घरों से निकलने वाले बेकार पानी को लेकर जागरुकता पैदा की जाए और लोगों को कालोनी और सामुदायिक स्तर पर सार्वजनिक–निजी भागीदारी से इस पानी को साफ करने का संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। रेज़िडन्ट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन्स इसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

संदर्भ

1. ëAfter power, Delhi govt privates waterí, http;// www.financialexpress.com/newes/after-power/delhi/ govt-privates-water/88152/0
2. ëWith Rs. 1,716-cr udget, DJB jsays no to subsideyí, http;/ /www.indianexpress.com/new/with-rs-1-716cr-budget-djb-say-no-to-subsidy/768985/0
3. Philip Cullet, ëDelhi Water Privatisation-Background and Recent developmentsí, Inida Water Portal
4. Nangloi project terms sheet, DJB website
5. Key features of Vasant Vihar project, DJB website
6. David Hall and Emanuele Lobina, ëWater Privatisationí, Public Services International Research Unit (PSIRU), April 2008
7. Rumi Aijaz, ëWater Crisis in Delhi,í *Seminar*, no 629, 2011
8. ëWomenís Rights and Access to Water and Sanitation in Asian Cities (2009-2011)í, Jagori and Women in Cities International (WICI)
9. ëGender Responsive Budget Analysis of the public jprovisioning of water and sanitation services in Bawana and Bhalswaí, The Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA), July 2011
10. Arun Kumar Singh, ëDelhiís watery woes : A cross-sectional anaylysis of the watrer crisis in Delhií, CENTAD Occasional Paper, 2006
11. शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट, Gol
12. 12वीं योजना में शहरी और औद्योगिक जलापूर्ति और स्वच्छता पर कार्यदल की रिपोर्ट, योजना आयोग, Gol
13. Uwe Hoering, ëWater as a public good vs. water privatizationí, SEMINAR, no. 629, 2011

जल सेवाओं का निजीकरण : सच और भ्रम

जल निजीकरण-व्यवसायिकरण प्रतिरोध समिति

प्रकाशनकर्ता :

जल निजीकरण-व्यवसायीकरण प्रतिरोध समिति

बी-48/जी-2 दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

दूरभाष : 22573880, 9818848753

मूल्य : 10/-